'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.05.2018
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 21 ● अंक 12 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 मई, 2018

बिना आरक्षण न्यायपालिका

डॉ. उदित राज

संयोग कहा जाये या उच्च न्यायपालिका में कोई बुनियादी समस्या हैं कि एक के बाद एक विवाद उठते रहते है । 20 मार्च 2018 का जो निर्णय अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के सम्बन्ध में आया उससे इतना विवाद पैदा हो गया कि जन–जन तक उसमें शामिल हो गये । अगर आरक्षण उच्च न्यायपालिका में होता तो ऐसा निर्णय शायद न हो पाता । एक वर्ग ऐसा है जो संस्थाओं में गिरावट के कारण को आरक्षण मानता है, जबकि दलित, आदिवासी और पिछड़ा बिना आरक्षण के कारण न्यायपालिका के अन्दर गड़बड़ी मानता है। सैद्धांतिक रूप से चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है जब व्यावहारिकता के कारण विवाद पैदा हो गये है, जजों का एक धडा मानता है चीफ जस्टिस को मास्टर रोस्टर का एकतरफा अधिपत्य न हो। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद का कारण न्यायपालिका का निर्णय मुख्य रहा है। आये दिन भ्रष्टाचार के सवाल उठते ही रहते है। आम आदमी उच्च न्यायपालिका से न्याय नही ले सकता है, क्यों कि वहां फीस लाखों और करोंड़ों में है। करोंड़ों मामले लंबित है और लोगों की जिन्दगी खत्म हो जाने के बाद में निर्णय आ रहे हैं। कुछ ही परिवार से ही जज पैदा हो रहे हैं।

न्यायपालिका की हालत को देखकर अब वर्तमान व्यवस्था को जो उचित कहे वह या तो समझता नहीं या उसका वर्ग चरित्र ऐसा ही है। आरक्षण से संस्थाओं की क्षमता और गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अगर वो ईमानदार होंगे तो ऐसा सोचना और कहना बंद कर देंगे। विधायिका और कार्यपालिका का दरवाजा आम आदमी खटखटाने की ताकत रखता है लेकिन उच्च न्यायपालिका में तो सोंचना भी एक तरह की गुनहगारी ही होगी। जस्टिस खरे ने सही ही कहा कि आम आदमी को उच्च न्यायपालिका से न्याय लेने के बारे में सोंचना भी नही चाहिए। उच्च न्यायपालिका में आरक्षण नही है जबकि विधायिका और कार्यपालिका में है। जो लोग जातिवादी या निजी स्वार्थों में लिप्त होंगे उन्हें यह नजर नहीं आएगा और सिद्धांत की बात अभी भी करते हुए गड़बड़ी को उचित ठहराने में चूकेंगे नहीं।

आश्चर्य होता है यह देख कर कि जजों को भगवान मान लिया है। कार्यपालिका और विधायिका के कार्यो से असंतुष्ट होकर न्यायपालिका को सही मानते हैं दूसरा मुख्य कारण यह है कि कार्यपालिका एवं विधायिका लोगों की कार्यप्रणाली से आम लोग रोजमर्रा के आधार पर जुड़े हुए हैं जबकि न्यायपालिका से कुछ सीमित व्यक्ति ही हैं । दूसरी बात यह है कि अन्दर क्या हो रहा है लिखा और छापा नही जा सकता है। राजनैतिक दलों की आपसी फूट के कारण जज भी अपने निहित स्वार्थ में मोहरा बने जिससे न्यायपालिका के पास विधायिका और कार्यपालिका की ताकत जाती रही। अदालत की अवमानना का हथियार जजों ने भरपूर उठाया। घोर आश्चर्य होता है कि लोग उनको सबसे काबिल मानते हैं जिनका काबिलियत के आधार पर कभी नियुक्ति ही न हो। किसी हाई कोर्ट के श्रीमान चीफ जस्टिस किस वकील का नाम जज की संस्तुति के लिए भेजेंगे उसका क्या कोई मापदंड है। जिन वकील साहब को जज के लिए नाम भेजा जाता है क्या उनका कोई इंटरव्यू यह लिखित परीक्षा ली जाती है। क्या उनके द्वारा लड़े गए मुकदमों की जांच होती है कि उनका ज्ञान और व्यवहार कैसा रहा है। दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर न्यायपालिका भारत में है जहाँ जज बनने के लिए कोई योग्यता नही है और बाहर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, नीचे जज हैं और ऊपर आसमान और इनके बीच बोलने वाले को जातिवादी, स्वार्थी और ऊपर से कह दिया जाता है।

देश के राजनीतिज्ञ और सामाजिक लोग भी जनता के साथ महा अन्याय किया है कि कभी आवाज नही उठाई है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक बार पेश होने में 5 लाख, 10 लाख लग जाता है। अंधेरा तो इतनी हो गयी है कि बहस न हो तो भी मुकदमा लड़ने वाले की खाल उधड़ जाती है। ऐसे वकील सैकड़ों की संख्या में है और लोग उन्ही के पास जाने की कोशिश करते हैं, हालत तो इतनी खराब है कि कई बड़े वकील साहब व्यस्तता की वजह से मुकदमा भी ले पाते है और उसके लिए भी सिफारिश करनी पड़ती है। तमिलनाडु में कार्यपालिका में आरक्षण 69 प्रतिशत तक लागू है तो बताया जाये तो उत्तर भारत के तमाम ऐसे राज्य है जहाँ दलित और पिछड़े मिलाकर 30 प्रतिशत भी नही होंगे तो फिर भी तमिलनाडु में कानून व्यवस्था बेहतर है बल्कि कई सूचकांक में भी आगे है। 1993 के बाद कोलोजियम सिस्टम आया, तब से जज ही जज बना रहे है, तब क्यों मुकदमा लड़ना महंगा हुआ, भ्रष्टाचार कहीं से कम नही है, मुकदमे का निबटान जन्म–जन्मान्तर तक न होना, जातिवादी निर्णय देना और आपसी द्वन्द। उच्च न्यायपालिका में दलित–पिछड़ा का आरक्षण होना चाहिए, उससे न कि इनको न्याय मिलेगा बल्कि आम आदमी को भी। आरक्षण की वजह से नियुक्ति सीमित घरानों तक न होकर बल्कि देश के सभी स्थानों और वर्गो से आएंगे तो संस्था में सुधार होगा। जज की नियुक्ति के लिए कोई न कोई मेरिट का मापदंड तय किया जाना चाहिए। प्रोफेसर अश्वनी देश पाण्डेय ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के सहयोग से रेलवे विभाग का अध्ययन किया कि क्या आरक्षण से आए कर्मचारियों की वजह से उत्पादन और गुणवत्ता में क्या असर है तो अनुसन्धान का निष्कर्ष रहा कि जहाँ पर दलित आदिवासी ज्यादा थे वहां उत्पादन घटने की बजाय और बढ़ा है। दुर्भाग्य है जज अपने निजी स्वार्थ में संसद में किये गए संशोधन नेशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनुचित ठहराया। योग्यता का मापदंड गैर जजों के द्वारा नियुक्ति के बगैर उच्च न्यायपालिका से कोई उम्मीद नही की जा सकती है।

***

आरक्षण आईएएस अफसरों की गुणवत्ता को नहीं करता कम - अमरीकी विद्वानों का मत

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों में महत्वपूर्ण नीतिगत प्रभाव यह सुझाव देते हैं कि अपने प्रदर्शन से समझौता किए बिना ही नौकरशाह विविधता प्राप्त कर सकते हैं।

दुनिया के सबसे बड़े गरीबी–रोधी कार्यक्रम को कुलीन भारतीय नौकरशाहों के एक समूह द्वारा प्रबन्धित किया गया है, जिनको एक जटिल प्रतियोगी राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से चुना जाता है। लकिन इन नौकरशाहों में से आधे ने, केवल योग्यता (मेरिट) के आधार पर होने वाले इन पदों के लिये बहुत कम अंक प्राप्त किये हैं। इसके बजाय, उन्होंने पारंपरिक रूप से आधिकारिक तीन समूहों के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों पर कब्जा कर लिया है। क्या नौकरशाहों की भर्ती में सकारात्मक कार्रवाई का यह दूरगामी उपयोग उनके द्वारा किए जाने वाली सेवाओं को प्रभावित करता है ? हमने इस प्रश्न पर अध्ययन किया और हमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि ऐसा नहीं है। इससे प्राप्त महत्वपूर्ण नीतिगत प्रभाव यह सुझाव देते हैं कि नौकरशाह अपने प्रदर्शन से समझौता किए बिना विविधता प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी नौकरशाहों में कोटा सामान्य बात है और इस पर काफी बढ़ चढ़ कर आवेदन किया जाता है। शिक्षा, राजनीति और निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्यवाई के प्रभावों की जाँच की गई है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर नौकरशाही में इनकी भूमिका का अध्ययन नहीं किया गया है। इसके बजाय, यह अंतर सार्वजनिक कल्याण को आकार देने में नौकरशाहों के विशेष महत्व को रोकता है ।

जबकि सकारात्मक कार्यवाही नीतियों का उद्देश्य लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलना है, वे संस्थागत प्रभावकारिता को भी बदल सकते हैं। सकारात्मक कार्यवाही के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि इसमें कर्मचारी वर्ग की गुणवत्ता को कम करके उनके प्रदर्शन को चोट पहुंचाने की अपनी क्षमता है। यह डर योग्यता के आधार पर भर्ती प्रक्रियाओं के साथ नौकरशाहों में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां सकारात्मक कार्यवाही दूसरों की तुलना में कम औपचारिक गुणवत्ता की परिभाषा के अनुसार होती है।

लेकिन नौकरशाही के प्रदर्शन पर सकारात्मक कार्यवाही का प्रभाव नकारात्मक होना जरूरी नहीं है। सकारात्मक कार्यवाही वास्तव में नौकरशाहों को अधिक प्रतिनिधि बनाकर परिणामों में सुधार कर सकती है और इस वजह से वंचित समूहों समेत सभी नागरिकों की सेवा करने में और अधिक सफलता हासिल कर सकती है। एक नए शोध पत्र में, हमने भारत में नौकरशाही प्रदर्शन पर सकारात्मक कार्यवाही की मांग की, यदि कोई हो, तो इसका क्या प्रभाव है। भारतीय नौकरशाही का उच्चतम स्तर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौकरशाही –वर्ग में से एक है। यह सबसे महत्वपूर्ण नौकरशाही पदों का एकाधिकार करता है और सैकड़ों लाखों के लिए महत्वपूर्ण गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण की एक मजबूत नीति का भी पालन करता है। हालांकि सभी आईएएस अधिकारियों को एक बेहद प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से चुना जाता है, कम से कम 50 प्रतिशत पद पारंपरिक रूप से आधिकारिक समूहों की तीन श्रेणियों के सदस्यों के लिए आरक्षित होते हैं जिनके परीक्षा में कम नंबर होते हैं उन्हें कार्यालय से अयोग्य घोषित किया जाता है। हमने प्रत्येक आईएएस अधिकारी के प्रारंभ, साथ ही साथ उनकी जाति श्रेणी और परीक्षा अंकों, शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य इतिहास पर विस्तृत जानकारी के साथ एक समृद्ध नया डेटा–सेट संकलित किया। इससे हमें यह निर्धारित करने में मदद मिली कि कौन से उम्मीदवारों को सकारात्मक कार्रवाई का उपयोग करके भर्ती किया गया था और उन्हें कितना फायदा हुआ। इसलिए हम यह आकलन कर सकते हैं कि अन्य उम्मीदवारों की तुलना में सकारात्मक कार्रवाई कैसे की जाती है, अल्पसंख्यकों सहित जो अकेले मैरिट के आधार पर योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। हमने आईएएस के नौकरशाही आउटपुट को दुनिया के सबसे बड़े गरीबी–विरोधी कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यान्वयन के आधार पर मापा है। कार्यक्रम के तहत, भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को छोटी सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं के आधार पर अकुशल रोजगार की 100 दिन की गारंटी है।

सकारात्मक कार्रवाई के प्रभाव का आकलन करने के लिए, हमने जांच की कि सकारात्मक कार्रवाई के लिए अभिहस्तांकन उस जिले के मनरेगा परिणामों में परिवर्तन करता है या नहीं। नौकरशाही को प्रभावी बनाने के लिए हमारा लक्ष्य मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से 100 या इससे अधिक दिनों के रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या का आंकलन करना था। किसी भी जिले में जितने अधिक परिवारों ने सेवा दी, नौकरशाही और अधिक प्रभावी हुई। हमने पाया कि सकारात्मक कार्रवाई भर्ती द्वारा तामील किए गए जिलों में अन्य जिलों की तुलना में मनरेगा रोजगार के स्तर समान हैं। सकारात्मक कार्रवाई की नियुक्तियां और उनके गैर–अल्पसंख्यक समकक्ष नियुक्तियों, जो केवल मेरिट के आधार पर नियुक्त किये गये हैं, के बीच प्रदर्शन में कोई पता लगाने योग्य अंतर नहीं है। इस प्रकार, कम से कम आईएएस जैसे अत्यधिक चुनिंदा नौकरशाहों के भीतर, कुछ प्रकार के कार्यक्रमों के परिणामों के लिए कार्यदक्षता में नुकसान के बिना विविधता में सुधार प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में, उच्च आंकड़ों वाले अल्पसंख्यक, जो सकारात्मक कार्यवाही के बिना सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, उनके समान स्थित गैर–अल्पसंख्यकों से भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

यह खोज हमें अनुमति देती है कि शंका से ग्रसित सकारात्मक कार्यवाही के सबसे बुरे भय को समाप्त करना, अर्थात् ये कार्यक्रम नौकरशाही के प्रदर्शन को और बुरा कर देते हैं। जबकि भारत में नौकरशाही सकारात्मक कार्रवाई के व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों का अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है, इसके संस्थागत प्रभाव नकारात्मक नहीं दिखते हैं। रिखिल आर. भवानी, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय–मैडिसन में राजनीति विज्ञान विभाग में एक सहयोगी प्रोफेसर हैं। अलेक्जेंडर ली, रोचेस्टर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में एक सहायक प्रोफेसर हैं। आप इस कॉलम के अंतर्गत दिए गए दस्तावेज को पढ़ सकते हैं–" क्या सकारात्मक कार्रवाई नौकरशाही के निष्पादन को और बुरा कर देता है ?" यहाँ पर – भारतीय प्रशासनिक सेवा के साक्ष्य हैं।"

https://hindi.theprint.in

***

सुरक्षा के कवच पर असुरक्षा का प्रहार

इतिहात बनाया सावित्रीबाई फूले ने, शौर्य दिखाया रानी लक्ष्मीबाई ने, रजिया, सरोजनी, रमाबाई, झलकारीबाई, सुचेता सब थी अपूर्व अजया। देवालय, विदयालय, मंत्रालय किसी पर नही इनका अधिकार, हर रूप मे देती सुरक्षा, हर भेष मे करती रक्षा, पर आज अपनी ही सुरक्षा को है बेजार.. करे भी तो क्या बढ़ते अपराधों से काँपता समाज कुछ न कर पाने की स्थिति में हम है आज। आधी आबादी पर हो रहे है सितम, उठ गया हर किसी से भरोसे का हाथ, सुरक्षा के सब कवच निकले निराधार। घटनाएं होती रही और आधी आबादी अपने सभ्मान और सुरक्षा को सिसकती रही। राजनीति के सरकारी हुए वायदे। पुलिस अपनी व्यथाओ मे कमी और खामियो मे उलझी रही। एक तरफ देश मे दुष्कर्म की बडी घटनाओ को लेकर आवाज गूँज रही हैं। वही दिल्ली –एन सी आर में रोज ऐसी घटनाएं महिलाओं, बच्चियो की सुरक्षा को लेकर किए वायदो पर प्रहार कर रही है। आखिर कैसै होगी आधी आबादी सुरक्षित। आज दिल्ली एन. सी. आर मे महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा पुलिस के लिए ऐसी चुनौती बन गई है। जिसका कोई इलाज निकलता नजर नही आ रहा। आज जहाँ मंदिर, मस्जिद, मदरसों में बच्चियों के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले सामने आ रहे है, इससे लगता है इंसानियत शर्मसार हो रही है। उन्नाव व कठुआ में 8–10 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले हो रहे है और लगातार रोज दिल्ली एन सी आर सहित पूरे देश के अलग–अलग राज्यों के कोने में ऐसी घटनाएँ घट रही हैं।

कठुआ, उन्नाव के बाद अब गाजीपुर में भी 10 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई हैं। ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी की वजह है कि हमारे समाज मे संवेदन शीलता का अभाव होना। आज देश में लगातार होने वाली ऐसी घटनाएं यह सोचने पर विवश करती हैं कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आज जब कोई घटना सामने आती है तो घटना होने के बाद चेतने वाली सरकार कुछ घंटों के बाद फिर खामोश हो जाती है। वादो की पोटली से एक खोखला सा शिगूफा निकलता है और हवा–हवाई हो जाता है। आधी आबादी के हितैशी बनने वाली सरकार सिर्फ वोट तक ही क्यों सोचती है। पुलिस और सरकार के अलावा इसके लिए कहीं न कहीं सामाजिक दृष्टिकोण, आसपास के लोग भी जिम्मेदार है। आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर न केवल सरकार बल्कि सामाजिक संगठनों को भी गंभीर होना होगा। कानून की सख्ती आवश्यक है ताकि दोषी छूटे नहीं। इसके अलावा छात्राओं को आत्मरक्षा के लिये स्कूल में ही शिक्षा देनी होगी लेकिन सबसे अधिक जरूरी है लोगों को मानसिकताओं बदलनी होगी। महिलाएं ही महिलाओं को शोषित होते हुए देखती है और चुप है। यह केवल एक जेंडर को नहीं दोनो जेंडर को जागरूक करने से होगा। इसके अलावा बच्चों को सैक्स एजुकेशन दिया जाना भी आवश्यक है। कानून का पालन सख्ती के साथ होना चाहिए। महिलाओं व बच्चियों के साथ अपराध से जुड़ी कोई घटना जब सुर्खिया बन जाती है तब कानून में बदलाव की बात होती है। अगर निर्भया कांड मामले में कोई ऐसा सख्त कानून बन गया होता तो वर्धा, कठुआ, उन्नाव और गाजीपुर जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले के दिल दिमाग में डर होता। इन घटनाओं के घटित। होने के बाद देश भर मे गुस्से का माहौल है चारो तरफ से दोषियों को सजा दिलाने की मांग उठ रही है, कही कानून में बदलाव के लिए धरना प्रदर्शन व भूख हडताल हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए (पाक्सो) यौन अपराधों में संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया है। पाक्सो कानून के फिलहाल के प्रावधानों के अनुसार ऐसे जघन्य अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्र कैद है वही न्यूनतम सजा 7 साल की जेल है लेकिन संशोधन के बाद अब देश मे 12 साल की या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप के दोषियों को मौत की सजा दी जा सकेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल कानून मे बदलाव ही समस्या

का समाधान है जो कानून पहले से बने हैं, क्या उनका पालन हो पा रहा है शायद नही! अपराधियों को इस बात का यकीन रहता है कि वे कुछ भी करके बच निकलेगे । इसलिए जब तक उनके मन मे इस बात का भय नहीं होगा कि उन्हे हर हाल मे उनके किए की सजा मिलेगी तब तक महिलाओं व बच्चियों के साथ ऐसे अपराधों पर विराम नहीं लगेगा।

– सविता कादियान पंवार
राष्ट्रीय संयोजक,
परिसंघ महिला प्रकोष्ठ
मो. 9873944026

बिहार परिसंघ में एक दिवसीय चिंतन शिविर सपन्न

बिहार परिसंघ का एक दिवसीय चिंतन शिविर सपन्न

पटना, 6 मई, 2018। भारती मंडप हॉल, विद्यापति मार्ग, पटना में बिहार परिसंघ द्वारा संगठन विस्तार हेतु कार्यकर्त्ताओं व नेताओं का चिंतन शिविर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। पथ-प्रर्दशक बाबा साहेब के चरणों में पुष्प अर्पितकर चिंतन शिविर का उद्घाटन माननीय डॉ. उदित राज ने किया। इस कार्यक्रम में झारखण्ड के महासचिव श्री मधुसुन कुमार, उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अलेख मल्लिक, पश्चिम बंगाल के हरि बेहरा आदि का स्वागत करते हुए बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन राम ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में बैठक के विषयों पर प्रकाश डालते हुए संगठन के विस्तार पर तथा डीओएम की स्थापना पर अपने विचार रखे ।

अपने प्रभावशाली एवं सारगर्भित उदबोधन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश की वर्तमान राजनीति एवं सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए अपनी बात जाहिर कि दलित, गरीब एवं कमजोर समाज को अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक होना ही पड़ेगा। इसी समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए ही दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक परिसंघ (डीओएम) की स्थापना की गयी है। डीओएम की स्थापना इसलिए की गयी है कि छोटे बड़े सभी संगठनों को मिलाकर एक संगठन बनाया जाए। एक संगठन दूसरे संगठनों से इसलिए नहीं मिलते क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व का खतरा नजर आता है लेकिन ऐसा नहीं होगा परिसंघ से जुड़ने पर उन्हें खतरा महसूस करने के बजाए और शक्ति मिलेगी। डीओएम परिसंघ में जुडने से सारे संगठन जैसे पहले कार्यरत थे, परिसंघ से जुडने के बाद भी वैसा ही नहीं बल्कि और ताकत के साथ अपनी जगह यथावत कार्य करते रहेगें तथा अपना मूल अस्तित्व बनाये रखेंगे। डीओएम परिसंघ का संगठनात्मक ढाचां, राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला एवं पंचायत स्तर पर गठित होगा और यह पूरी तरह से गैर राजनैतिक होगा। इस सम्बोधन में डॉ. उदित राज ने बिहार राज्य कार्यकत्ताओं की घोषणा भी करबदी जिसके सदस्य समय-समय पर आवश्यक बैठक करके बिहार राज्य में निचले स्तर तक डीओएम का संगठन बनाएंगें।

बैठक में पूर्वोतर भारत के सभी राज्यों, असम, मणिपुर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, बिहार तथा अन्य राज्यों को मिलाकर एक क्षेत्रीय सम्मेलन करने का भी विचार विमर्श हुआ। क्षेत्रीय सम्मेलन प्रस्तावित सभी राज्यों को मिलाकर करेंगे। सम्मेलन पटना (बिहार), रॉची (झारखण्ड), कलसा एवं दार्जिलींग (पश्चिम बंगाल), इन्हीं जगहो पर करने के बारे में चार्चा हुई। बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन राम एवं बिहार राज्य के पदाधिकारियों की राय है कि यह क्षेत्रीय सम्मेलन बिहार की राजधानी पटना में ही हो क्योंकि बिहार से ही परिवर्तन की चिंगारी उठेगी जो 2019 के अंत तक चलेगी।

इस महत्वपूर्ण चिंतन शिविर में कई संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष तथा महासचिवों के साथ-साथ परिसंघ के जिला अध्यक्ष एवं राज्यों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन को सफलता पूर्वक निभाने में श्री शिव पूजन राम, जीवन कुमार संचलन में विशेष भूमिका निभायेंगे जैसे कि इन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से वादा किया है तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जैसे भी निर्देश होगा वैसा करने का आश्वासन दिया। सभी वक्ताओं ने दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक परिसंघ (डीओएम) को समय की मांग व तथा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज का आभार जताया कि आज हमारी चिर प्रतीक्षित मांग पुरी हुई।

सहारनपुर में दलित युवक सचिन वालिया की मौत इस देश के माथे पर कलंक : डॉ उदित राज

नई दिल्ली, 11 मई, 2018 उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद एवं ''अनुसूचित जाति/जन जाति संगटनों का अखिल भारतीय परिसंघ'' के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. उदित राज ने सहारनपुर में महाराणा प्रताप जयंती के दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्त्ता सचिन वालिया को गोली मार दिए जाने की घटना पर अपना रोष व्यक्त किया है। उन्होंन कहा ''सहारनपुर में दलित कार्यकर्ता सचिन वालिया को जिस तरह दिनदहाड़े प्रशासन के सामने गोली मार दी गई उससे पता चलता है कि दलितों के प्रति समाज में आज भी कितनी नफरत एवं घृणा है।''

डॉ. उदित राज ने आगे कहा कि सहारनपुर में दलित युवक सचिन वालिया की मौत जिस तरह प्रशासन के आला-अधिकारिओं के आँख के सामने हुआ वो शर्मनाक एवं देश को कलंकित करने वाली घटना है। सचिन दलित समाज के हक के लिए लड़ने वाला नौजवान था जिसे महाराणा प्रताप की जयंती मानाने के लिए इकठ्ठा हुई ऊँची जाति के लोगों की भीड़ ने घेरकर गोली मार दी और प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। उन्होंने कहा कि ये घटना यह बताने के लिए काफी है कि आज भी दलितों की स्थिति कितनी भयावह है।

उन्होने आगे कहा कि जब 2 अप्रैल को दलितों ने भारत बंद किया तो देश स्तब्ध रहा की ऐसा कैसे हो गया ? दलित भारत बंद कैसे करा सकता है इस दुर्भावना से दलितों के ऊपर लगातार हिंसा हो रहे हैं। देश के कई जिलों में 2 अप्रैल कि घटना के बाद बड़े स्तर पर गिरफ्तारियाँ एवं फर्जी मुकदमें दर्ज हुए है, ज्यादातर मुकदमें ग्वालियर, जोधपुर, सीकर, बाड़मेर, हापुड़, जालोर, भिंड, जयपुर एवं करौली जिले में दर्ज हुई है।

सचिन वालिया जैसे निर्दोष दलित की हत्या भी इसी दुर्भावना के कारण हुई हैं। समाज में व्याप्त जातिगत भेदवाव, हिंसा एवं शोषण रूकने का नाम नहीं ले रहा है। जब पुलिस की मौजूदगी में इस तरह दिनदहाड़े किसी दलित को गोली मार दिया जाता है तो आप सोच सकते है हम अब भी दलितों के सशक्तिकरण से कितना दूर है एवं अभी भी सामाजिक न्याय की लड़ाई कितनी लम्बी है। 2 अप्रैल के बाद से जिस तरह हमारा समाज हिंसा एवं कटुता के कारण आपस में बंट गए है वो अप्रत्याशित है। साथ ही दलितों के खिलाफ इतनी घृणा एवं सामूहिक हिंसा भी इस कदर संगठित रूप से पहले नहीं देखी गयी।

सांसद डॉ.उदित राज ने राज्य सरकार से अपील करते हुए आगे कहा ''मै उम्मीद करता हूँ कि राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी एवं सचिन वालिया के हत्यारे को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जायेगा। इस वक्त सहारनपुर में स्थिति काफी तनावपूर्ण है एवं वहां दलितों में भय एवं असुरक्षा का माहौल है। प्रशासन से उदित राज ने अपील किया है की दलितों के हितों की रक्षा की जाये एवं उनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराया जाये। साथ ही सचिन वालिया को राज्य सरकार मुआवजा के साथ साथ उनके परिवार जन को नौकरी दे जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण हो सके।

***

दलित के साथ भोजन एवं बैठक की राजनीति

नई दिल्ली, 4 मई 2018, अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने कहा कि ''दलित आदिवासियों की समस्या एवं वस्तुगत परिस्थिति को राजनितिक दृष्टि से देखा और परखा जा रहा है जबकि विषय इससे कहीं बड़ा और गंभीर है । उन्होंने देश के बुद्धजीवी सामाजिक एवं राजनैतिक लोगों की सोंच पर असंतोष व्यक्त किया है कि दलित का मर्ज कुछ और है और दवा कुछ और दी जा रही है। 2 अप्रैल, 2018 के बाद से जिस तरह पूरे देशस्तर पर दलितों का रोष प्रकट हुआ उससे बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि दलित और आदिवासियों की आकांक्षाएं एवं उम्मीदें कुछ और ही हैं, न कि उनको तथाकथित सवर्ण अपने पास बैठा ले या अपने पास भोजन करायें। बड़ा सवाल यह है कि 2 अप्रैल को दलित-आदिवासी इतने आक्रोशित क्यों हुए ? उसके तुरंत बाद की दो बड़ी घटनायें हुई जिसकी वजह से इस परिस्थिति का निर्माण हुआ। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि अनुसूचित जाति/जनजति अत्याचार निवारण अधिनियम 89 में गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब कर्मचारी के मामले में नियुक्तिकर्ता और जनता के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लिखित रूप से देगा तभी मुकदमा दर्ज हो सकता है जब डीएसपी स्तर पर अधिकारी जांच से संतुष्ट हो एवं रिपोर्ट भी तभी दर्ज की जाएगी । इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया और उसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय को इकाई न मान करके विभाग को आरक्षण लागू करने हेतु माना जायेगा। इससे शिक्षक भर्ती में लगभग आरक्षण का खात्मा हो चुका है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 65 शिक्षक भर्ती हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया था जिसमे मात्र 2 ओबीसी को स्थान दिया है जबकि 63 सामान्य वर्ग को भर्ती के लिए मिल रहा है। इस समय ज्यादातर विश्वविद्यालय और कॉलेज आनन-फानन मे हैं कि किस तरह से वर्षो से लंबित पदों को विज्ञापित करके जल्द से जल्द भर दिया जाये। उन्हें आशंका है कि कहीं फिर से पुरानी व्यस्था लागू न हो जाये। देश को समझना होगा कि इस मानसिकता से दलित असंतुष्ट है कि किस तरह से उन्हें न्यायपालिका, कार्यपालिका, शिक्षा एवं आर्थिक जगत में जब भी मौका लगता है अधिकार और सम्मान और प्रतिनिधित्व से वंचित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता है। जब इन वर्गो में इस बात का अहसास हो गया तो क्या इनके घर पर खाना खाकर या बराबर पर बैठा कर बहलाया या फुसलाया जा सकता है। अब हमें समझना होगा कि इनकी आकांक्षायें कुछ और हो गयी हैं न कि 80 और 90 के दशक में थी।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज

डॉ. उदित राज ने आगे कहा कि यह एक अवसर है कि देश को इस पृष्ठिभूमि में इनके विषय और विमर्श सोचना होगा। सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान कि सांसद और विधायक दलित बाहुल्य गाँव में जाये और सरकारी योजनाओं से अवगत करायें, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कोई भी सामाजिक या राजनैतिक व्यक्ति किसी समाज के साथ भोजन या किसी अन्य तरह का मेलजोल करने के लिए आजाद है और इसका विरोध करने का कोई मतलब नही होता लेकिन क्या इससे अब इन वंचितों को बहलाया, फुसलाया जा सकता है ? जबकि इनमें चाहत कुछ और पैदा हो गयी है। केवल सरकार और राजनैतिक लोगों का ही ठेका नही रह गया है कि इस बड़े विषय पर चिंता करें। अब जो इनमे गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसकी वजह यह है कि उन्हें निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाये। जिस तरह से ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग की वजह से नौकरियां खत्म हुई है उस पर रोक लगे और फिर से विशेष भर्ती अभियान चालू किया जाये। एक भारत- श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना पूरा करना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करके रोटी-बेटी का सम्बन्ध चालू करना पड़ेगा। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने पूरे जीवन जातिविहीन समाज की स्थापना के संघर्ष किया था तो क्या तथाकथित निम्न जातियों के लिए ही ऐसा कदापि नही। जाति एवं महिला और पुरुष को विभाजित करने वाला देश कभी विकसित हो सकेगा इस पर बहुत बड़ा संदेह है।

डॉ. उदित राज ने सरकार से अपील किया कि 2 अप्रैल के आन्दोलन में जिन दलितों के ऊपर मुकदमे किये गए हैं उन्हें वापिस किया जाये। जब जाट और पटेल आन्दोलन के दौरान किये गए मुकदमे वापिस हो सकते हैं तो दलितों के ऊपर किए गए मुकदमे भी वापिस किया जा सकता है।

***

नागपुर में परिसंघ का दो दिवसीय सम्मेलन संपन्न

जवाहर हॉस्टल, नागपुर डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ ने 2 अप्रैल, 2018 को भारत बंद के दौरान तथाकथित सवर्ण समाज के हाथो मरे गए 10 दलितों को शहीद घोषित किया। डॉ. उदित राज अनुसूचित जाति/जनजातीय संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से जवाहर छात्रावास सिविल लाइंस नागपुर में आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वर्तमान की चुनौतियां, संविधान और उपाय विषय पर खुले अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाड़े, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अब्दुल वहाब पारेख प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थे।

मंच पर डॉ. उदित राज जी के साथ दीपक तभाने

डॉ. उदित राज ने कहा कि, 2 अप्रैल को दलितों द्वारा किया गया भारत बंद एक ऐतिहासिक घटना थी। बड़ा सवाल यह है कि 2 अप्रैल को दलित-आदिवासी इतने आक्रोशित क्यों हुए? उसके तुरंत बाद की दो बड़ी घटनायें हुई जिसकी वजह से इस परिस्थिति का निर्माण हुआ। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि अनुसूचित जाति/जनजति अत्याचार निवारण अधिनियम 89 में गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब कर्मचारी के मामले में नियुक्तिकर्ता और जनता के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लिखित रूप से देगा तभी मुकदमा दर्ज हो सकता है जब डीएसपी स्तर पर अधिकारी जांच से संतुष्ट हो एवं रिपोर्ट भी तभी दर्ज की जाएगी । इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया और उसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय को इकाई न मान करके विभाग को आरक्षण लागू करने हेतु माना जायेगा। इससे शिक्षक भर्ती में लगभग आरक्षण का खात्मा हो चुका है। 2 अप्रैल को मारे गए 10 में से 8 दलित शहीद लोग तथाकथित सवर्णो द्वारा की गयी गोलीबारी और हिंसा में मारे गए हैं। यह लोग शहीद घोषित किये जाने चाहिए क्योकि इन लोगों ने निजी स्वार्थ से ज्यादा समाज के हितों की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। समाज हमेशा इन वीरो का ऋणी रहेगा। आज दलित समाज की जरूरत है कि अपने निजी स्वार्थ जैसे नौकरी तथा परिवार के हितों से अधिक समाज के अधिकारों के लिए लड़ना तभी इस लडाई में जीत संभव है।

डॉ उदित राज ने कहा कि, समाजसेवा और राजनीति दोनों में अंतर है। समाज का नेतृत्व करते समय सामाजिक समस्याओं पर आवश्यकता पड़ी तो दलगत नीति से हटकर अपनी पार्टी से भी लड़ने की ताकत रखनी चाहिए। सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने कहा कि, कल चल कर को सांसद नहीं बन पाया और निरक्षर भी सांसद चुनकर आता है, तो लोग उसी के पास पहुंचेंगे। समाज की इस भूमिका और विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता है। एससी,एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय एकत्र आने पर बड़ी ताकत खड़ी होगी और राजनीतिक भी पीछे दौड़ेंगे। जाट, पटेल, मराठा के साथ किसान एकजुट होने से सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। अब एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिमों को अपने अधिकार के लिए एकजुट होने का उन्होंने आह्वान किया। डॉ. तायवाड़े ने कहा कि संविधान विरोधी ताकत को कुचलना होगा। इसके लिए दलित, ओबीसी, मुस्लिमों को एकजुट होने की आवश्यकता है। जय ओबीसी, जय भीम का नारा सर्वत्र पहुंचाने का उन्होंने आह्वान किया। अब्दुल वहाब पारेख ने कहा कि, धर्मनिरपेक्ष देश में मुस्लिमों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इंसान के जीने की चिंता छोड़ प्राणियों के जीने को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसके पीछे नापाक मानसिकता कार्यरत हैं। देश में हिटलरशाही समान वातावरण बना हुआ हैं। विविध योजनाओं पर अल्पसंख्यक समाज के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाता है। परंतु आवंटित निधि जाती कहा है, इसकी जांच होनी चाहिए।

डॉ. बबनराव तायवाडे एवं अब्दुल वहाब पारेख को परिसंघ का मोमेंटो देकर सम्मनित करते हुए डॉ. उदित राज

डॉ. उदित राज ने कहा कि, आज दलित, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय को एक साथ परिसंघ को मजबूती प्रदान करनी चाहिए और समाज के पढ़े-लिखे और नौकरिपेशा वर्गो को परिसंघ की ताकत बनकर सड़क पर आन्दोलन के लिए उतरना होगा। डॉ. उदित राज ने कहा कि, जब तक हम सब एकजुट होकर सड़क पर आंदोलन नहीं करेंगे तब तक हमारे अधिकार छिनेते रहेंगे।

***

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी एक्ट के खिलाफ दिए गए आदेश पर दलित संगठनों द्वारा 2 अप्रैल को भारत बंद किया गया जिसमें देश के कई जिलों में समाज के लिये इन सभी लोगों ने अपनी जान न्योछावर कर दी। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परिसंघ द्वारा जगह-जगह पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आगामी 17 जून को मावलंकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में सुबह 11 बजे शोक समारोह का आयोजन किया जाएगा।

अंकुर जाटव

विमल राजोरिया

दशरथ जाटव

आकाश जाटव

प्रदीप गर्ग

राकेश टमोटिया

दीपक जाटव

पवन झाड़ोली

पूरे देश में सबसे ज्यादा अपने लोक सभा की जनता से जुड़ने के लिए 30 मार्च, 2018 को दिल्ली के विज्ञान भवन में

श्रेष्ठ सांसद अवार्ड प्राप्त करते हुए डॉ. उदित राज

Food and meeting politics with Dalit

New Delhi, 4 May 2018, Dr. Udit Raj, National Chairman of the 'Confederation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes organizations' said that "The problem of the Scheduled Caste and Scheduled tribe is being seen in the circumstances which have hardly connect with the ground reality. The need of the hour is to address the aspirations and grievances of these communities which got expressed in the massive protest across the country on 2nd april 2018. Dr. Udit Raj deplored the outlook of intelligentsia and other responsible sections in the society as far as the real issue of these communities are concerned.

Dr. Udit Raj Addressing the Press

On 2nd April 2018 the way the Dalits and tribal's expressed their anguish and feeling across the country, it has become very obvious and explicit that the expectations and aspirations are different. They did not rise to the occasion to ask from the so-called upper caste or those who are in position to empower them that, they needed to have meal and dining together. The real question is why the Dalits and tribal's were so upset on April 2? Immediately before the mega outbreak, two major incidents were responsible for this precipitation like 20th march 2018 Supreme Court Judgment with regard to "Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of atrocities Act 1989" and other one in respect of Roaster point in teachers recruitment in universities. On March 20th, 2018, the Supreme Court's decision says that the arrest under the "Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of atrocities Act 1989" can happen only if the senior police superintendent (SSP) in the matter of the public and the appointing authority in the matter of employee gave complaint in writing.

Earlier, another decision came from the Supreme Court and it was stated that the university would not be considered as an entity and the department would be considered an entiy for implementing the reservation. This has resulted in the elimination of almost reservation in teacher recruitment. For example, in Tamil Nadu Central University, 65 posts were advertised for the recruitment in which only 2 OBCs have been recruited, while on the rest general category teachers were recruited. At this time, most universities and colleges are in the forefront on how to advertise the pending posts over the years and those be filled up at the earliest. They fear that the old system might come back again. The mood of Dalit has to be gauged that why are they broken and disillusioned with the system and obviously continuous dilution of their rights and dignity in the hands of judiciary, executive and academia and captains of economic pursuits. When these deprived classes have realized this, can they now be lured by eating food at home or sitting at par. Now we have to understand that their aspirations have become something else, and are not the same as the 1980s or 1990s.

Dr. Udit Raj further said that this is an opportunity that the country will have to think about their subject and discussions in this background. The government-run campaign that MPs and MLAs should go to Dalit dominated villages and get them appraised of government schemes should be welcomed. Any social or political person is free to mix food or any other kind with any society, and there is no point in opposing it, but can it misled the deprived by these acts to now? Only the government and the political people have not been contracted to worry about this big issue. Now that the qualitative changes are being seen, the reason is that they should be given reservation in the private sector. The way in which jobs have ended due to contractual and outsourcing, there should be a ban on it and again the special recruitment campaign should be started. To fulfill the dream of creating 'An India-The best India', then the relationship of Roti-Beti (Food-Daughter) should be started for ending the caste system. Baba Saheb Dr. Ambedkar had struggled his whole life to establish a caste free society, it was not only for the lower caste people but for the society as a whole. Exclusion of Dalit and tribal women and men from progress of the country will never lead to the progress of the country.

Dr. Udit Raj appealed to the government that the dalits who have been sued in the April 2 Movement should be returned. When the lawsuits made during the Jat and Patel movement can be withdrawn then the litigations raised on Dalits can also be returned.

***

No, reservation does not produce inferior IAS officers, say two US scholars

The findings of the study have significant policy implications because it suggests that bureaucracies can achieve diversity without compromising performance.

The world's largest anti-poverty programme is managed by a corps of elite Indian bureaucrats selected through a fiercely competitive national exam. But half of those bureaucrats scored too low to qualify for their posts based on "merit" alone. Instead, they filled slots reserved for members of three traditionally marginalised groups. Does this far-reaching use of affirmative action in hiring bureaucrats affect the services they deliver? We studied this question and have concluded that it does not. This has significant policy implications because it suggests that bureaucracies can achieve diversity without compromising performance. Quotas in government bureaucracies are common and fiercely contested. Although a large literature has examined affirmative action's effects in education, politics, and the private sector, its role in bureaucracies remains largely unstudied. This gap in the literature is particularly stark given bureaucrats' importance in shaping public welfare.

While affirmative action policies are intended to change the socioeconomic status of beneficiaries, they may also alter institutional efficacy. A prominent concern about affirmative action is its potential to hurt performance by lowering the quality of personnel. This fear is particularly relevant in bureaucracies with meritocratic recruitment procedures, where affirmative action hires are by definition of lower formal quality than others. But affirmative action's effect on bureaucratic performance is not necessarily negative. Affirmative action may in fact improve outcomes by making bureaucracies more representative — and hence more successful at serving all citizens, including underprivileged groups. In a new research paper, we sought to what effect, if any, affirmative action has on bureaucratic performance in India. The highest level of the Indian bureaucracy, the Indian Administrative Service (IAS), is one of the world's most powerful bureaucracies. It monopolises the most important bureaucratic posts and supervises the implementation of anti-poverty programmes vital to hundreds of millions.

The IAS also abides by a strong policy of reservations for other backward classes (OBCs), scheduled castes (SCs) and scheduled tribes (STs). While all IAS officers are selected through a fiercely competitive national exam, at least 50 per cent of positions are reserved for members of three categories of traditionally marginalised groups whose low exam scores would otherwise disqualify them from office. We compiled a rich new data-set with detailed information on the origins, educational backgrounds, and service histories of every IAS officer, as well as their caste category and exam score. This allowed us to determine which candidates were recruited using affirmative action, and by how much they benefited. We could therefore assess how affirmative action hires fared compared to other candidates — including minorities who qualified based on merit alone. We measured the IAS' bureaucratic output based on its implementation of the world's largest anti-poverty programme, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). Under the programme, all of India's rural households are guaranteed 100 days of unskilled employment on small public works projects.

To estimate affirmative action's effect, we examined whether the assignment of an affirmative action hire to a district changes that district's MGNREGA outcomes. Our measure of bureaucratic effectiveness was the number of households receiving 100 or more days of employment through the MGNREGA programme: the more households served in any given district, the more effective the bureaucracy. We found that districts served by affirmative action recruits have similar levels of MGNREGA employment than other districts. There is no detectable difference in performance between affirmative action hires and their non-minority counterparts hired on merit alone.

Thus, at least within highly selective bureaucracies like the IAS, improvements in diversity can be obtained without efficiency losses for certain types of programme outcomes. In fact, high-scoring minorities who qualify for service without affirmative action perform even better than their similarly situated non-minorities. This finding allows us to reject the worst fears of affirmative action skeptics, namely that these programmes worsen bureaucratic performance. While the wider social and political implications of bureaucratic affirmative action in India have yet to be studied, its institutional effects do not appear to be negative. Rikhil R. Bhavnani is an associate professor, Department of Political Science, University of Wisconsin–Madison. Alexander Lee is an assistant professor, Department of Political Science, University of Rochester. You can read the paper underlying this column—"Does Affirmative Action Worsen Bureaucratic Performance? Evidence from the Indian Administrative Service"—here.

https://theprint.in/opinion/the-pashtun-movement-is-seeking-separation-it-is-a-fight-for-dignity/52086/

SC's ruling was the catalyst that fired up the anger accumulated for decades

The Supreme Court's judgment was just a catalyst that fired up the anger and frustration that had been accumulating for decades.

There is a growing unrest among the dalit community and the April 2 "Bharat Bandh" called by dalit groups was just an outcome of the 'frustration and anger' that had been simmering for decades.

In an interview to Yojna Gusai, BJP's dalit face and Northwest Delhi MP Udit Raj says dalits' aspirations and expectations have changed, and simply eating at a dalit house will not make them feel included.

The country recently witnessed a nationwide massive protest by the dalit community, which was seen as an outcome of the growing unrest among the community. Was it just because of the Supreme Court's recent judgment on the Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act?

It was not a sudden reaction to any one issue, but had been accumulating for many years. The April 2 "Bharat Bandh" was a turning point in the country's history. For decades, dalits have been feeling neglected, their demands were being ignored, aspirations and expectations remain unfulfilled, participation in government jobs and education had been decreasing for years now. We have students who cannot get in good educational or professional institutions because these institutions are privatised. We have educated youths, who cannot find jobs in the private sector, because this sector is selective, employers here pick and choose and can fire anytime. Government jobs are still considered safe. Even in the public sector, contract system is being introduced.

The Supreme Court's judgment was just a catalyst that fired up the anger and frustration that had been accumulating for decades. Here was a judgment, which brought in a third person who was responsible for deciding whether or not a person has really committed a crime against the community member. What about the accountability of this third person? What if this third person could be influenced by perpetrators of crime against dalits or could be bribed? Will s/he sanction arrest of the perpetrator/s? Dalits have suffered a lot and this order was seen as a dilution of the act, which gives them protection so they reacted very strongly against it.

The SC's order on the Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act was catalyst for the dalit agitation? The agitation was just a venting out of the simmering anger among the community over so many issues. The apex court had earlier upheld an order by another court, which had asked universities to prepare a department-wise roster of teachers' vacancies for SC and ST candidates instead of an institution wise roster. Again the number of reserved seats in universities came down drastically. These are all precipitating factors. Cases of dalit atrocities, including the Una incident (in Gujarat), dalit grooms not being allowed to ride a horse or dalits being asked to give notices in advance before marriage (in Ujjain, MP) have been on the rise. What is all this? Is this the freedom given to us by the Constitution that we talk about? Moreover, such incidents are setting a bad example before the world community. Are dalits not Hindus? What are we telling the world that Hindus perpetrate more crime on their fellow Hindu citizens?

But most of these incidents took place in BJP-ruled states. The BJP has been facing flak over dalit atrocities.

I will not blame any government here but would like to cite an example of the Punjab government, which took caution for the April 2 "Bharat Bandh" and closed government offices. I don't know why such precautionary measures were not taken by other state governments. Perhaps they failed to gauge the undercurrent of the simmering anger. But what was worst is that dalits were confronted by other group of civil societies over the bandh. The so-called dominant caste colluded with the agitators. What happened after that, those dalits arrested are still facing action but those who protested during the Patel agitation (in Gujarat), against the release of Padmaavat and during the Jat agitation in Haryana, governments decided to withdraw cases against them.

Your party failed to foresee the impact of the dalit agitation?

This question should be asked to our party leaders as I am speaking not as a BJP leader but as a dalit activist. This is not just a political issue for me. Such political questions should be put before those (BJP leaders) who can answer them.

But have you ever taken dalit-related issues before your party leadership?

I have taken such issues many times, it is for the party leadership to take note and take a call accordingly.

Some BJP leaders have been in controversy over eating in dalit homes as part of the government's outreach programme "Gram Swaraj Yojana"...

I totally support this outreach programme. But each ailment requires a particular treatment. When the issue is about aspiration for jobs, education, participation in governance, fight for dignity and rights, then will simply eating at a dalit's home be enough? When there is a huge gap between dalits and non-dalits, do you think eating with dalits will solve everything? There are many steps under the programme for the community, but simply eating with dalits cannot woo them.

http://www.asianage.com/opinion/interview-of-the-week/070518/scs-ruling-was-the-catalyst-that-fired-up-the-anger-accumulated-for-decades.html ***

Regional conference of Nagpur Confederation

Dr Udit Raj addressed 2-day regional conference of scheduled caste and tribes organised by All India Confederation of SC/ST Organisations (Parisangh) at Jawahar Students' Hostel in Nagpur city. He is the National Chairman of All India Confederation of SC/ST Organisations (Parisangh) . The BJP MP presided over the open conference being held on topic "Current challenges, Constitution and remedies." President of National OBC Mahasangh, Dr. Babanrao Taiwade and All India Muslim Personal Law Board's Abdul Wahab Parekh were the chief guests.

Dr Udit Raj further said, "There is difference between social service and politics. One should have strength to fight with his own party if social issues warrant it. If tomorrow I am not able to become MP and an illiterate becomes MP, then people will visit him. Hence it is need of the hour to change this role of society and its thinking," he said.

"If SC, ST, OBC and Muslim communities come together, it will be a big force and the politicians would also run after it. The government had to bow down before the unity of Jats, Patels, Marathas and farmers. Now, it is time for unity among SCs, STs, OBCs and Muslims for their rights," the BJP MP said.

Dr Taiwade, in his speech, said, "Forces against Constitution will have to be crushed. For this, Dalits, OBCs and Muslims will have to come together. The slogan 'Jai OBC, Jai Bhim' needs to be spread everywhere," he said.

All India Muslim Personal Law Board's Abdul Wahab Parekh said, "Condition of Muslims in this secular country is miserable. Basic rights are being violated. Lives of animals are being given importance rather than lives of humans. Unholy attitude is behind this aspect. Atmosphere in the country is akin to the Hitler era. Provisions of thousands of crores are made for various welfare schemes for minority communities, But a thorough probe must be conducted as to where the money goes," he said.

Dr Udit Raj Addressing 2-days Regional Conference

Appeal to the Reeaders

You will be happy to know that the Voice of Buddha will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through bank draft in favour of **"Justice Publication"** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in **'Justice Publication' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi** under intimation to use by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you may not receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution :
Five Year : Rs 600/-
One Year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 21 ● Issue 12 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 May , 2018

Excellence Comes Through Diversity

There is a misgiving and prejudice that fetching little higher marks in examination and knowing a language better is merit. The concept of this merit is based on the capital of generations after generations in education and governance, institutions equipped with infrastructure, advantage of tuitions and parental guidance and expensive coaching .On the contrary, people coming from zero background, despite their sheer hard work and perseverance, fetch a little less marks in examinations and are condemned to be unfit for jobs. This myth is deep rooted in India only, may be what we had suffered at the hands of Britishers on this count. When the Britishers introduced the education system in India, there used to be only First and Second division to pass the exam and the third division was introduced for Indians to create educated labourers. The British made merit was based on cramming and art of writing the exam because it suited them. After independence, we adhered to the same form of merit. This merit does not include creativity, hard work, honesty, field work and empathy. Recently Dy CEO of Apple Co. said that Indians lack creativity. For decades and so, those who availed reservation were on defensive side but now the myth is being exploded with new researches.

A study has been conducted by Alexander Lee and Rikhil R Bhavnani on "Does affirmative action worsen Bureaucratic Performance? Evidence from the Indian Administrative Service". This is the latest study which has demolished the myth of merit. It started examining the myth that many worry that affirmative action reduces the bureaucratic effectiveness by diminishing the quality of recruits, while others post that it improves effectiveness by making recruits more representative of and responsive to the population. The case study was of MGNREGA, the world's largest anti-poverty program. It was found that officers recruited through reservations performed no worse than others. Rather reserved categories recruited without affirmative action performed slightly better than others. Professor Ashwani Deshpande of Delhi University in consultation with Michigan University of America conducted a study on Implication of Reservation in Railway Deptt and found that where the SC/ST employees were more, efficiency improved, and productivity got enhanced. The SC/ST and OBC have just started entering the domain of researches and therefore more and more myths of merit are yet to be demolished in the days to come. The so called upper castes are still controlling the domain of research and education and most of them will not conduct studies of such nature which go in favour of reservation.

The judgement of the Supreme Court as regards the roster point in teachers' recruitment in universities has liked SC/ST and OBC to a great extent. Erstwhile, percentage of reservation was calculated over the entire strength of teachers in a university and for instance if a university had 400 teachers, the formula of calculating the vacancies was percentage of reservation, that is,15% for SC, 7.5% for ST and 27% in case of OBC. According to recent judgement, now the university will not be a unit to calculate the percentage of reservation, but the deptts will be taken as a unit for application of reservation. As soon as UGC issued the circular, immediately universities swung into action to advertise the teachers' vacancies which were pending for a long time. It's being done in haste to exclude reserved categories lest circular is reversed soon. Recently Tamil Nadu Central University has advertised 65 posts of teachers, 63 went to unreserved and 2 for OBC and SC/ST, are getting next to nothing. Another example of Indira Gandhi National Tribal Central University, Amarkantak which advertised 52 teachers' vacancies, 51 went to unreserved and only 1 for OBC. Yet another worse case of exclusion is of Atal Bihari Vajpayee Hindi University, Bhopal where the advertised posts are 18 and all are for unreserved. Haryana Central University is not behind, and it advertised 80 posts on contract basis and none go to any reserved category.

The judges are judging the merits of others when they themselves do not come through merit. When a Chief Justice of any High Court recommends the name of a lawyer, is there any exam system or interview to judge

his merit or is there any mechanism to scrutinise cases done as a lawyer? On 20 March, 2018 the SC diluted the Prevention of Atrocities Act, 89. It's a special act and can't be altered by the SC. Judges examined the merit of law makers and did away with their merit by bringing structural changes.

Since ages education , trade and administration excluded all others except a particular caste and that is why India remained slave and devoid of mass education and innovation and wealth . The Societies which included everyone to participate in any field by choice and no restrictions on the basis of caste have prospered. Only diversity in all fields can guarantee the progress of a nation.

***

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.aiparisangh.com, www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar

गुजरात : शादी के कार्ड पर नाम में सिंह जोड़ने पर दलित परिवार को धमकी

गुजरात के डीसा जिले में एक दलित परिवार को शादी के निमंत्रण कार्ड पर नाम के आगे सिंह लिखवाने को लेकर धमकियां मिल रही हैं। शादी के दिन कार्यक्रम में खलल डालने की परिवार को धमकी दी जा रही है। गुजरात में नाम के साथ सिंह उपनाम जोड़ने को सम्मान के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। राजपूत समुदाय में पुरुष आमतौर पर अपने नाम के साथ सिंह लगाते हैं। शिकायत मिलने के बाद फोन नंबर के आधार पर करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ने पर शादी के दिन दलित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

डीसा के पास गोल गांव में रहने वाले सेंधाभाई भदरू का कहना है कि उनके छोटे बेटे हितेश की शादी के निमंत्रण कार्ड पर उन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर की तस्वीर भी छपवाई है। शादी के कार्यक्रम के दौरान बुद्ध की मूर्ति स्थापित करने की बात भी कार्ड में लिखी गई है। कार्ड पर जय भीम उन्होंने कहा, हमने अपने परिवार के बच्चों के नाम के साथ सिंह लगाया है इसलिए हमको धमकी मिल रही है। सिंह कार्ड में नाम के साथ उस जगह पर लिखा गया है, जहां बच्चों के नाम के साथ मेहमानों से जरूर-जरूर आने की बात लिखी जाती है। सेंधाभाई के दूसरे पुत्र कांजीभाई पुलिस अधिकारी हैं और उनके छोटेभाई हितेश की 12 मई को शादी तय हुई है। सेंधाभाई ने बीबीसी से कहा, हमने अपने नाम के साथ सिंह जीना हराम कर दिया गया है। हमको रोज धमकियां मिल रही हैं। हमें शादी की खरीददारी करने जाते हुए भी डर लग रहा है। हमारी बहन-बेटियों को घर से उठा लेने की धमकियां दी जा रही हैं।

सेंधाभाई के बड़े बेटे केसरभाई कहते हैं, हमें मिली धमकी की बात समाज में चारों तरफ फैल चुकी है। अब हमारे घर शादी में कौन आएगा ये भी एक सवाल है। हमें डर है कि शादी के दिन कुछ हंगामा होगा तो पुलिस अधिकारी जेएन खांटे ने बीबीसी को बताया, हमने शिकायत को गंभीरता से लिया है। हमने कॉल डिटेल निकाल ली हैं और धमकी देने वालों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। गुजरात सरकार के सामाजिक और न्याय विभाग के मंत्री ईश्वर परमार ने बताया, सभी को अपने नाम के साथ कोई भी उपनाम लगाने की छूट है। इस तरह से दलितों को धमकी नहीं दी जा सकती है। हम दलित परिवार को पूरी सुरक्षा देंगे।

c.com/hin

परिसंघ की वेबसाइट पर ऑनलाइन सदस्य बनें

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की वेबसाइट www.aiparisangh.com पर अब ऑनलाइन सदस्यता का प्रावधान कर दिया गया है। वेबसाइट पर जाकर कोई भी सदस्यता शुल्क की ऑनलाइन पेमेंट करके वार्षिक एवं आजीवन सदस्य बन सकता है। इस पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि सभी माध्यमों से पेमेंट की जा सकती है। अब कोशिश रहे कि ज्यादातर ऑनलाइन ही किया जाए, फिर भी यदि सदस्यता फार्म और डोनेशन की रसीदें छपी हुई चाहिए तो राष्ट्रीय कार्यालय में सुमित मो. 9868978306 से सम्पर्क किया जा सकता है।

परिसंघ के पदाधिकारियों से निवेदन है कि प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाएं। यदि प्रदेश या जिले स्तर के पदाधिकारी अन्य लोगों को सदस्य बना रहे हैं तो वे फार्म में रेफर्ड बाई के कॉलम में अपना नाम अवश्य लिखें, इससे राष्ट्रीय कार्यालय को पता लग सकेगा कि किस पदाधिकारी द्वारा कितना ऑनलाइन सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा वेबसाइट पर परिसंघ का संक्षिप्त परिचय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिचय के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों के फोटो के साथ पता एवं मोबाइल नंबर भी दिया गया है, (http://aiparisangh.com/office-bearers/) ताकि जो लोग अलग-अलग प्रदेशों से वेबसाइट देखें उन्हें पता लग सके कि उस प्रदेश के किस पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा 'वॉयस ऑफ बुद्धा' भी वेबसाइट पर जाकर पढ़ा जा सकता है।

?

उन्हें बताया

, लेकिन वे

मुझे लगता

मिलता है,

म पहुचात थ जहा पर इन्ह पासा जाता है। इसके बाद इन हड्डियों का चूरा कई रासायनों को बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश में लोग बीते कई सालों से शांति से अपना काम कर रहे थे, लेकिन जब से राज्य सरकार ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया है तब से इन लोगों का काम प्रभावित हुआ है। बीते साल ये कानून पास होने के बाद से कई लोग गो हत्या के शक में हमलों के शिकार हुए है।

55 साल के ब्रजवासी लाल कहते हैं कि प्रतापगढ़ में उन्हें कभी-कभी धमकियों का सामना करना पड़ा है। जब भी लोग हमें हड्डियों को लेकर जाते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हम कसाई के यहां काम करते हैं। हमें एक किलो हड्डियों के बदले सिर्फ 3 से 5 रुपए मिलते हैं। ये कोई सम्मानजनक काम नहीं है, लेकिन इससे मेरे घर का खर्च चलता है। अब हमारे काम पर बहुत असर पड़ा है। हमें बेहद सावधान रहना पड़ता है। इसीलिए हम आधी रात से काम शुरू करते हैं और सुबह 10 बजे तक अपना काम पूरा कर लेते हैं। वो बताते हैं कि लोग अक्सर उनके काम को सही नजर से नहीं देखते और उन्हें समाज का अंग नहीं मानते है।

ब्रजवाली लाल कहते हैं, हम दलित हैं। ऐसे में हमें ज्यादातर लोगों से सम्मान नहीं मिलता है। इसके बाद ये काम हमें असल मायनों में अछूत बना देता है। लोग हमें देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन बात बस

है। बात बस ... www.aiparisangh.com ... कोई और चारा नहीं है। आप सड़े हुए मांस की बदबू की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अक्सर कुत्तों के भी शिकार होते हैं। वो हमेशा हमारा पीछा करते हैं। कई बार मुझे कुत्तों ने काटा भी है। सुग्रीव कहते हैं कि उनके काम के लिए शारीरिक और मानसिक ताकत चाहिए होती है। हम मरे जानवरों की लाशों के लिए 40-50 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। जब लोगों के घरों में जानवर मर जाते तब भी लोग हमें बुलाते हैं। ये कोई सम्मान का काम नहीं है। लोग अपने घरों में पानी तक नहीं पिलाते हैं। सोचकर देखिए, हम समाज में एक अहम काम करते हैं। हम खेतों और घरों से मरे हुए जानवरों को हटाकर पर्यावरण साफ रखते हैं। लेकिन कोई भी हमारा सम्मान नहीं करता है। मेरे पास ये काम करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं और किसी को भी जब ये पता चलेगा कि हम हड्डी बीनने वाले हैं तो कोई भी हमें काम नहीं देगा।

मेरे पिता भी यही काम करते थे। मेरे बच्चे भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो कुछ और काम करें। ये मुश्किल लगता है कि क्योंकि वे भी पढ़े-लिखे नहीं हैं और हड्डी बीन रहे हैं। बैसाखू हड्डियों के ढेर को एक गड्ढे में डालते हुए सहमत

दशकों से कर रहे हैं। काश, मुझे कोई दूसरी नौकरी मिल जाती, लेकिन हमें कौन नौकरी देगा? वो भी इस बात पर

जोर देते हैं कि लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमारा जानवरों को मारने से कोई संबंध नहीं है। दलित हूं, बिजनेस क्लास में चलता हूं। हम जानवरों को नहीं मारते। हम बस उनके मर जाने पर हड्डियां उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये नहीं देखते और हमें गाली देने लगते हैं। मैंने गायों को बेहद बुरी हालत और घाव से कराहते हुए देखा है। मुझे लगता है कि काश लोग हमें परेशान करने की जगह गायों का ख्याल रख सकें। हम जो काम करते हैं वह बहुत ही कठिन काम है। हम कई घंटों तक काम करते हैं। अपनी साइकिलों और कंधों पर भारी हड्डियां ढोते हैं। कभी-कभी हमें चोटें भी लग जाती हैं, लेकिन हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसा भी नहीं होता है। वो बताते हैं कि इस काम में नियमित आय भी नहीं है। कभी-कभी हमें कुछ भी नहीं मिलता। किसी दिन हमें 50

...सकते हैं, मेरे ऊपर एक परिवार पालने की जिम्मेदारी है और जब मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं परेशान हो जाता हूं. मुझे लोगों से उधार मांगना पड़ता है जिसके बाद कर्ज बढ़ता जाता है। ये एक खराब चक्र है। वो कहते हैं कि हिंसा होने के खतरे ने उनके काम को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। कुछ महीने पहले, मैं सुबह हड्डियां बीनकर वापस

आ रहा था। मेरी साइकिल पर एक बड़ा कंकाल था। इसे देखकर कुछ लोगों ने मुझसे पूछ कि मैंने गाय की

क्योंकि य समझना मुश्किल नहीं है कि हम जानवरों को नहीं मारते हैं। इस घटना के बाद मैं बेहद डर गया था।

छोटू कहते हैं, मैं पहले ये काम करता था, लेकिन अब मैं एक घर में काम करता हूं। कभी-कभी ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैं ये काम कर लेता हूं। लेकिन मैं ये काम पूरी तरह बंद कर देना चाहता हूं। ऐसा काम करने का क्या फायदा है जिसे लोग समझते न हों। हम दरअसल पर्यावरण को साफ

रख

ते हैं, लेकिन बदले में हमें गालियां और धमकियां मिलती हैं। वह सवाल करते हैं, क्या थोड़ा सा सम्मान चाहना

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या **0636000102165381** जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

<u>सहयोग राशि:</u>

पांच वर्ष	:	600 रुपए
एक वर्ष	:	150 रुपए